महत्वपूर्ण

संख्या- 274/पचास-यु0क0-2015-937/2010

प्रेषक,

शत्रुन्जय कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल
एवं युवा कल्याण,उ0प्र0,लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग: लखनऊः दिनांक 21 जुलाई, 2015

विषय- वित्त विभाग द्वारा प्राख्यापित उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपि संवर्ग सेवा नियमावली, 2014'' एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 को युवा कल्याण विभाग में लागू किया जाना।

महोदय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

कृपया प्रश्नगत सन्दर्भ में युवा कल्याण एवं प्रोदशिक विकास दल लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली, 2014 के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या-290/एक-141/प्रा.वि.द./2012, दिनांक 19 जून, 2015 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 एवं उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 को युवा कल्याण विभाग द्वारा अंगीकृत किये जाने के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमावलियाँ राज्य सरकार के सभी विभागों पर प्रभावी होती है, इसके लिए किसी विभाग विशेष द्वारा उन्हें पृथक से अंगीकृत किये जाने का प्राविधान नहीं हैं।

3- उक्त नियमावलियों के प्रारम्भ में ही यह प्राविधान है कि:-

> ''संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये ..... नियमावली बनाते है ।

-2-

''संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा में भर्ती और इसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तो को विनियमित करने के लिये ..... नियमावली बनाते हैं।

4- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 के नियम-3 में 'प्रसार' के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया हैः-

> यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधान मण्डल के कार्यालयों लोक आयुक्त, लोक सेवा आयोग, उच्च न्यायालय ,उच्च न्यायालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षणाधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश और महाधिवक्ता के नियंत्रणाधीन अधिष्ठानों को छोड़कर, सरकारी विभागों में आशुलिपिक संवर्ग के पदों पर लागू होगी।

5- उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014 के नियम-3 में 'प्रसार' के सम्बन्ध में निम्न प्राविधान किया गया हैः-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सचिवालय, राज्य विधान मण्डल, लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के नियंत्रण और अधीक्षण के अधीन अधीनस्थ न्यायालयों, महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश के कार्यालयों और महाधिवक्ता के नियंत्रणाधीन अधिष्ठानों को छोड़कर, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन राज्यपाल के नियम बनाने की शक्ति के अधीन किसी सरकारी विभाग में लिपिकीय संवर्ग के पदों पर लागू होगी।

6- वर्णित स्थिति में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित नियमावलिय राज्य सरकार के सभी विभागों पर प्रभावी होती हैं, इसके लिए किसी विभाग विशेष द्वारा उन्हें पृथक से अंगीकृत किये जाने का प्राविधान नहीं हैं। अतः आशुलिपिक संवर्ग एवं लिपिकीय संवर्ग हेतु वित्त विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों को युवा कल्याण विभाग में अंगीकृत किये जाने का औचित्य नहीं है।

-3-

वित्त विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावलियों ''उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली, 2014'' एवं ''उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली, 2014'' के आधार पर विभाग में कार्यवाही सुनिश्चित करें। यदि कोई शंका या प्रेच्छा है तो शंका एवं प्रेच्छा सहित शासन में चर्चा करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)

उप सचिव।

प्रति, गार्ड बुक हेतु।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।